बिहार सरकार
सहकारिता विभाग

पत्रांक.............................../पटना दिनांक........................

01 नि॰/कार्या॰ व्यय (CFMS))–05/2018

सेवा में,

महालेखाकार (ले॰एवं हक)
बिहार पटना

विषयः– वित्तीय वर्ष 2025–26 में कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना हेतु कम्प्यूटर, प्रिंटर–सह–स्कैनर एवं यू॰पी॰एस॰ के कय हेतु राज्य योजनान्तर्गत आधुनिकीकरण मद में कुल राशि रू0 92,78,694/– (बानवे लाख अठहत्तर हजार छः सौ चौरानबें) मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

आदेशः–स्वीकृत

सहकारिता विभाग के अन्तर्गत कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के लिय कुल 93 कम्प्यूटर रू0 66,400/–(छियासठ हजार चार सौ) प्रति कम्प्यूटर के दर से, 56 प्रिंटर सह स्कैनर रू0 19,350/– (उन्नीस हजार तीन सौ पचास) प्रति प्रिंटर सह स्कैनर के दर से एवं 93 यू0पी0एस रू0 6500/– (छः हजार पाँच सौ) प्रति यू0पी0एस के दर से एवं अनुमान्य जी॰एस॰टी॰ सहित **कुल रू0 92,78,694/– (बानवे लाख अठहत्तर हजार छः सौ चौरानबें)** मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

2. उक्त स्वीकृत राशि वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य योजनान्तर्गत आधुनिकीकरण मद से मांग सं॰–09, मुख्य शीर्ष –2425 सहकारिता विभाग उप मुख्य शीर्ष –00–लघु शीर्ष –001 निदेशन एवं प्रशासन उप शीर्ष –0107 सहकारिता विभाग के कार्यालयों का जीर्णोद्धार विपत्र कोड–09–2425000010107 विस्तृत शीर्ष –13 कार्यालय व्यय विषय शीर्ष –01 कार्यालय व्यय के अन्तर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा ।

3. कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के लिए कुल 93 कम्प्यूटर, 93 यू0पी0एस एवं 56 प्रिंटर सह स्कैनर (ई–ऑफिस) के क्रय हेतु कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के लिए प्राधिकृत निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी इस राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे।

4. राशि की निकासी Fully Vouched Contigent Bill पर की जायेगी तथा संबंधित आपूतिकर्त्ता/फार्म को भुगतान किया जायेगा ।

5. इस राशि का उपयोग उसी कार्य के लिए किया जायेगा जिस कार्य के लिए स्वीकृति दी गई है। किसी अन्य मद में इस राशि का उपयोग कदापि नहीं किया जायेगा। इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उत्तरदायी होंगे। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा नियमानुसार जी॰एस॰टी॰ एवं आयकर कटौती की जायेगी।

6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, वित्त विभाग के पत्रांक– 4989/वि(2) दिनांक– 16.05.2013 के आलोक में अंकित तथ्यो का अनुपालन करेगें। साथ ही साथ राशि की निकासी एवं व्ययन करने में बिहार कोषागार संहिता तथा बिहार वित्तीय नियमावली के सुसंगत प्रावधानों एवं वित्त विभाग, बिहार पटना द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्र/अद्यत्न अनुदेशों का अक्षरशः पालन किया जायेगा।

7. इस राशि के अंकेक्षण का अधिकार नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का होगा ।

8. उक्त से संबंधित पूर्व का स्वीकृत्यादेश संख्या–346, दिनांक–29.11.2024 को रद्द समझा जाए।

9. इसमें आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–01 नि॰/कार्या॰व्यय(CFMS)–05/2018 के पृष्ठ संख्या 179/टि0 पर दिनांक–09.06.2025 को प्राप्त है।

10. इसमें सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना की सहमति संचिका संख्या–01 नि॰/कार्या॰व्यय (CFMS)–05/2018 के पृष्ठ संख्या 180/टि0 पर दिनांक–09.06.2025 को प्राप्त है।

ह0/–
(अभय कुमार सिंह)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक ....149........../**पटना, दिनांक**....09/06/2025.....

01 नि॰/कार्या॰ व्यव॰ (CFMS))–05/2018

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1. कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना।
2. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यालय, निबंधक, स॰स॰, बिहार, पटना।
3 वित्त विभाग (बजट भाखा/लेखा शाखा), बिहार, पटना/अवर सचिव, योजना एवं बजट शाखा, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव (प्रभारी बजट शाखा), सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी (प्रभारी लेखा शाखा), सहकारिता विभाग, बिहार, पटना (दो प्रतियों में)/ आई॰टी॰ मैनेजर सहकारिता विभाग बिहार पटना।

09-06-25

सरकार के अपर सचिव